"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2015 — भाद्रपद 24, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 13 के उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(6) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्टेनो टायपिस्ट से शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-दो से सहायक ग्रेड-एक एवं सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो की पदोन्नति के संबंध में, अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 10, 11 एवं 12 के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित न्यूनतम अनुभव की कालावधि में, केवल कैलेण्डर वर्ष 2015 के लिये, अधिकतम 1 वर्ष की छूट दी जायेगी."

इस संशोधन को ऐसे पढ़ा जायेगा तथा अर्थ लगाया जायेगा, जैसा कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.के. टण्डन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.के. टण्डन, अपर सचिव.

Naya Rapur, the 15th September 2015

NOTIFICATION

No. F 3-2/2011/1-8. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Secretariat Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After sub rule (5) of rule 13, the following shall be added, namely :-

"(6) Notwithstanding anything contained in these rules, in respect of promotion to the post of Steno Typist to Stenographer, Assistant Grade-II to Assistant Grade-I and Assistant Grade-III to Assistant Grade-II, the minimum experience period as mentioned in column (5) of serial number 10, 11 and 12 of Schedule-IV, shall be relaxable upto maximum one year for calendar year 2015 only."

This amendment shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDON, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.